अज अदालत – उप खण्डअधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– के.आर. खोड आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 50/2019 (72/2012) दायर दिनांक 05/07/19 (22/08/2012)

निर्णय दिनांक 05/03/2020

श्री नानूराम पिता वाला मीणा परमार निवासी भीण्डा तहसील जिला डूँगरपुर (राज.)

— वादी

बनाम

1. श्री शंकर पिता रूपा परमार मीणा निवासी भीण्डा
2. श्रीमति मणी पत्नि शंकर परमार मीणा निवासी भीण्डा
3. श्रीमति वरजु पत्नि रूपा परमार मीणा निवासी भीण्डा
4. श्री केशु पिता शंकर परमार मीणा निवासी भीण्डा
5. श्री हरिशंकर पिता शंकर परमार मीणा निवासी भीण्डा
6. श्रीमति कमला पत्नि केसु परमार मीणा निवासी भीण्डा
7. श्री भंवरलाल पिता वीरजी परमार मीणा निवासी भीण्डा प.ह. भीण्डा तहसील जिला डूँगरपुर (राज.)
8. श्री लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार जिला डूँगरपुर (राज.)

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188/राज.टी.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादीगण नं. 1 से 7 की ओर से – श्री गौतमलाल रोत एडवोकेट

प्रतिवादी नं. 8 की ओर से – पेरोकार सरकार

वादीगण का वाद इस प्रकार है कि मौजा भीण्डा प.ह. भीण्डा तहसील जिला डूँगरपुर (राज.) में वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी संवत 2063 से 2066 के खाता नं. 232 नया वो पुराना 202 के खसरा नं. 29 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 30 रकबा 1–17 बीघा, खसरा नं. 31 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नं. 35 रकबा 0–02, खसरा नं. 38 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नं. 48/02 रकबा 2–15 बीघा, खसरा नं. 330/2 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नं. 333/1 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 336 रकबा 0–08, खसरा नं. 351 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 2224 रकबा 4–12 बीघा , खसरा नं. 2225 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नं. 2226 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नं. 2227 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नं. 3276/2223 रकबा 12–00 बीघा, कुल खसरा 15 कुल रकबा 26–02 छब्बीस बीघा दो बिस्वा लगानी 8–37 रूपया स्थित है जिस पर वादी एवं उसके परिवार के सदस्य काबिज होकर शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त करते हुए आ रहे हैं ।

वादी के खाते की आराजी नं. 38 रकबा 0–10 बिस्वा प्रतिवादीगण के मकान के पास स्थित होने से एवं अन्य आराजीयात में प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते हुए अवरोध पैदा करते रहते हैं । प्रतिवादीगण को वादी के स्वतंत्र खाते की आराजी में प्रवेश होने एवं वादी को काश्त करने से रोकने का किसी प्रकार का कोई अधिकार हांसील नहीं है । वादी ने अपने खाते की आराजी के किसी खसरे को प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है । वादी के स्वतंत्र खाते कब्जे काश्त पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें और न ही अतिकमण करने चेष्टा करे एसा कृत्य न तो स्वयं और न ही परिवार के किसी सदस्य से करावे एवं भविष्य में यदि दौराने वाद वादी के खाते की आराजी पर किसी प्रकार से आंशिक या पूरी आराजी पर अतिकमण कर लिया जावे तो प्रतिवादीगण को बे दखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द कराया जावे का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है ।

न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किये जाने के साथ प्रतिवाद प्रस्तुत किये जाने से वकील वादी की ओर से जवाब प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 12/03/2015 को तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियत की गई ।

Scanned with CamScanner

वादी की ओर से अपना एवं गवाहान तेजा, कालू का बयान शपथपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के एवं गवाहान के बयान लिपिबद्व करवाए गए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में खतोनी प्रदर्श 1 एवं विक्रय पत्र प्रदर्श 2 को प्रदर्शित करवाई गई । गवाहान से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह पूर्ण कर लिए जाने से वकील वादी की ओर से साक्ष्य बंद की जाने से पत्रावली दिनांक 05/02/2017 को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई ।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन लम्बे समय तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 10/10/2019 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम के लिए नियत की गई ।

वकील वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित होने से पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील वादी द्वारा बहस के दौरान हमारा ध्यान पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 पर एवं साक्षीयों के कथन की ओर आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी का वादी स्वतंत्र रूप से मालिक एवं काबिज है । वादी के खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही उन्हे वादी के खाते की आराजी में प्रवेश होकर अतिक्रमण करने या वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने का अधिकार प्राप्त है इस लिए वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं मोखिक साक्ष्य से अपने वाद को सिद्व करवाया होने से वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर पाबंद किया जावे कि वे वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं, काश्त करने में व्यवधान पैदा नहीं करें और न ही किसी प्रकार से फसली नुकसान स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों से पहूँचावे की डिकी प्रदान की जावे ।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में लिखे तत्थ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण अपने खाते की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं वे वादी की किसी आराजी में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं कर रहे हैं और न ही अतिक्रमण किया है इस लिए वाद वादी उसके खाते कब्जे काश्त की आराजी पर डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकार के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस समाअत किये जाने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया जिस पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार पारित किया जाता है –

तनकी नं. 1 – आया वादी प्रतिवादीगण के नाम विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादी पर होने से वादी की ओर से अपने स्वयं के बयान पीडब्ल्यु 1 के रूप में एवं पीडब्ल्यु 2 गवाह तेजा के बयान लिपिबद्व करवाते हुए प्रदर्श 1 एवं 2 प्रस्तुत किये गये । प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब के समर्थन में या प्रतिवाद के समर्थन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई होने से वादी इस तनकी को सिद्व करवाने में सफल रहा होने से इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के किसी जाता है ।

तनकी नं. 2 – आया वादी प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर जब्रन कब्जा कर लेने पर उन्हे बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादी पर होने से तनकी नं. 1 के विवेचन के आधार पर तनकी नं. 1 वादी के हक में निर्णित किये जाने से इस तनकी का निर्णय भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के किया जाता है ।

तनकी नं. 3 – आया वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच विरासती खाते की भूमि पर समान बटवारा नहीं होने से प्रतिवादीगण विरासती आराजीयात को समान बटवारे कराये जाने के अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था । प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात् अपने जवाबदावे के समर्थन में न तो न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत की और न ही एसा कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित

Scanned with CamScanner

करवाया जिससे कि साबित हो सके कि विरासती खाते की आराजी का समान रूप से बटवारा नहीं हुवा हो । मात्र अपने जवाब में एवं प्रतिवाद में अंकन कर देने मात्र से किसी प्रकार की सिद्वी होना नहीं माना जाता है । इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से न तो दस्तावेजी साक्ष्य से और न ही मौखिक साक्ष्य से यह सिद्व करवा पाये है कि विरासती आराजी का समान रूप से बटवारा नहीं हुवा हो । इस लिए इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादी के पक्ष में किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में सिद्व होना नहीं पाया जाने से खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है । इस प्रकार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित होने से प्रतिवादीगण का प्रति वाद निरस्त किया जाते हुए वादी का वाद इस प्रकार वादी के पक्ष में निर्णित एवं डिकी किया जाते हुए प्रकरण में कियात्मक आदेश निम्नानुसार जारी किया जाता है –

कियात्मक आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद इस प्रकार डिकी किया जाता है कि मोजा भीण्डा प.ह. भीण्डा तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.) में वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी संवत 2063 से 2066 के खाता नं. 232 नया वो पुराना 202 के खसरा नं. 29 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 30 रकबा 1–17 बीघा, खसरा नं. 31 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नं. 35 रकबा 0–02, खसरा नं. 38 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नं. 48/02 रकबा 2–15 बीघा, खसरा नं. 330/2 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नं. 333/1 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 336 रकबा 0–08, खसरा नं. 351 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 2224 रकबा 4–12 बीघा , खसरा नं. 2225 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नं. 2226 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नं. 2227 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नं. 3276/2223 रकबा 12–00 बीघा, कुल खसरा 15 कुल रकबा 26–02 छब्बीस बीघा दो बिस्वा लगानी 8–37 रूपया स्थित है में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से वादी के चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करें, फसली नुकसान नहीं पहूँचावे, सम्पूर्ण आराजीयात पर एवं आंशिक आराजी पर किसी प्रकार से अतिकमण नहीं करें और न ही एसा कृत्य करे जिससे कि वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो एसा कृत्य न तो स्वयं करें और नही अपने किसी परिवार के सदस्य , ठेकेदार, मजदुर आदि से ही करावें । साथ ही तहसीलदार सीमलवाड़ा कों आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उपरोक्त खाते कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार से अतिकमण कर लिया हो या अतिकमण किया जाना पायाक जावे तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे । प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज किया जाता है । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें । पर्चा डिकी नियमानुसार जारी किया जावे । पत्रावली बाद अमल दरामद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे ।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/03/2020 को जारी की गई।

(के.आर.खोड)

उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाड़ा

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा मु0 धम्बोला

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई (प्रारंम्भिक डिकी)

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – उप खण्डअधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– के. आर. खोड आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 50/2019 (72/2012) दायर दिनांक 05/07/19 (22/08/2012)

निर्णय दिनांक 05/03/2020

श्री नानूराम पिता वाला मीणा परमार निवासी भीण्डा तहसील जिला डूँगरपुर (राज.)

— वादी

बनाम

1. श्री शंकर पिता रूपा परमार मीणा निवासी भीण्डा
2. श्रीमति मणी पत्नि शंकर परमार मीणा निवासी भीण्डा
3. श्रीमति वरजु पत्नि रूपा परमार मीणा निवासी भीण्डा
4. श्री केशु पिता शंकर परमार मीणा निवासी भीण्डा
5. श्री हरिशंकर पिता शंकर परमार मीणा निवासी भीण्डा
6. श्रीमति कमला पत्नि केसु परमार मीणा निवासी भीण्डा
7. श्री भंवरलाल पिता वीरजी परमार मीणा निवासी भीण्डा प.ह. भीण्डा तहसील जिला डूँगरपुर (राज.)
8. श्री लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार जिला डूँगरपुर (राज.)

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188/राज.टी.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादीगण नं. 1 से 7 की ओर से – श्री गौतमलाल रोत एडवोकेट

प्रतिवादी नं. 8 की ओर से – पेरोकार सरकार

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हस्ब दफा 188 राज.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू के.आर.खोड ब हाजरी श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट मिन जानिब मुद्दई व श्री गौतमलाल रोत प्रतिवादी नं. 1 से 7 की ओर से एवं प्रतिवादी नं. 8 की ओर से पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद इस प्रकार डिकी किया जाता है कि मोजा भीण्डा प.ह. भीण्डा तहसील जिला डूँगरपुर (राज.) में वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी संवत 2063 से 2066 के खाता नं. 232 नया वो पुराना 202 के खसरा नं. 29 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 30 रकबा 1–17 बीघा, खसरा नं. 31 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नं. 35 रकबा 0–02, खसरा नं. 38 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नं. 48/02 रकबा 2–15 बीघा, खसरा नं. 330/2 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नं. 333/1 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 336 रकबा 0–08, खसरा नं. 351 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नं. 2224 रकबा 4–12 बीघा , खसरा नं. 2225 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नं. 2226 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नं. 2227 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नं. 3276/2223 रकबा 12–00 बीघा, कुल खसरा 15 कुल रकबा 26–02 छब्बीस बीघा दो बिस्वा लगानी 8–37 रूपया स्थित है में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से वादी के चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान

Scanned with CamScanner

पैदा नहीं करें, फसली नुकसान नहीं पहूँचावे, सम्पूर्ण आराजीयात पर एवं आंशिक आराजी पर किसी प्रकार से अतिकमण नहीं करें और न ही एसा कृत्य करे जिससे कि वादी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो एसा कृत्य न तो स्वयं करें और नही अपने किसी परिवार के सदस्य , ठेकेदार, मजदुर आदि से ही करावें । साथ ही तहसीलदार [illegible] कों आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उपरोक्त खाते कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार से अतिकमण कर लिया हो या अतिकमण किया जाना पाया जावे तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे । प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज किया जाता है । खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें ।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/03/2020 को जारी की गई।

(के.आर.खोड)

उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा

मुहर

मुद्दई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुतफरीक		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालनामा स्टाम्प वजह सबुत महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान मुतफरीक	
मिजान			

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा जि. डूंगरपुर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.16 18:19:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: